न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग

प्रकरण संख्याः– 25/2021 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/233), पीठासीन अधिकारीः– श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

मीनादेवी विधवा रूप सिंह जाति जाटव निवासी ग्राम सिनसिनी तहसील व जिला डीग(राज0)

–वादिया

बनाम

1. विशन सिंह
2. छिद्दा सिंह } पुत्रगण रामहंस जातियान जाट नि0 ग्राम सिनसिनी तहसील व जिला डीग

–प्रति0

दावा अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट,

निर्णय **दिनांकः 08.03.2025**

वादिया द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बर 3243/0.21, वाके ग्राम सिनसिनी द्वितीय तहसील डीग में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 3243/0.21 वाके ग्राम सिनसिनी द्वितीय तहसील डीग में प्रति0 संख्या 1 विशन सिंह हि0 1/2 तथा प्रति0 संख्या 2 छिद्दा हि0 1/2 का खातेदार काश्तकार रहा है। उक्त प्रति0 संख्या 2 छिद्दा सिंह ने अपने हि0 1/2 में से हि0 46/525 विद्या पत्नी सामन्ता जाति जाटव नि0 ग्राम सिनसिनी तहसील डीग को रजिस्टर्ड बयनामा से बेचान कर दिया जिसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में हो चुका है। इसके पश्चात प्रति0 संख्या 2 छिद्दा सिंह ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 3243/0.21 का अपने हिस्सा 1/2 में से हि0 550/2100 यानि कुल रकबा का हिस्सा 275/2100 जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 09.07.2013को बेचान रूपये 2,50,000/– में वादिया के हक में करा दिया लेकिन उक्त बयनामा का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में नहीं हो सका जबकि वादिया उक्त बयनामा के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 3243/0.21 के हिस्सा 275/2100 पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काविज काश्त है। प्रति0 संख्या 2 छिद्दा सिंह ने आराजी खसरा नम्बर 3243/0.21 के हिस्सा 433/1050 में वादिया को बयनामा की आराजी हि0 275/2100को शामिल करते हुए अपने भाई प्रति0 संख्या 1 के हक में हकत्याग(रिलीजडीड)तहरीर करा दिया तथा उक्त हकत्याग के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होकर वादिया को क्रयशुदा आराजी का हि0 275/2100 प्रति0 संख्या 1 के नाम दर्ज हो गया। इस प्रकार प्रति0 संख्या 2 द्वारा प्रति0 संख्या 1 के पक्ष में उक्त हकत्याग में वादिया की क्रयशुदा आराजी हि0 275/2100को बिना किसी स्वत्व व अधिकार के शामिल कर पंजीबद्व कराया गया है। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 3243/0.21 के हिस्सा 275/2100 पर वादिया वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रति0 संख्या 1 विशनसिंह के नाम दर्ज इन्द्राजात

Scanned with OKEN Scanner

को कलमजन किया जावे। प्रति0 संख्या 2 द्वारा प्रति0 संख्या 1 के हक में जो हकत्याग वादिया की क्रयशुदा आराजी खसरा नम्बर 3243/0.21 के हि0 275/2100 को शामिल करते हुए सब रजिस्ट्रार डीग में पंजीबद्व कराई है जो वादिया के हि0 275/2100की हद तक बेअसर व शून्य किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 12.04.2021 को प्रति0 संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। दिनांक 27.07.2021 को प्रति0 संख्या 1 व 2 की ओर से इकबाल दावा पेश किया गया। जिसमें वर्णित है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 3243/0.21 वाके ग्राम सिनसिनी द्वितीय तहसील डीग में हम प्रति0 संख्या 1 हि0 1/2 तथा प्रति0 संख्या 2 छिद्दा सिंह हि0 1/2 के खातेदार काश्तकार काबिज काश्त रहे है। प्रति0 विशन सिंह ने अपने हिस्सा 1/2 में से हि0 46/525 विद्या पत्नी सामन्ता जाटव नि0 सिनसिनी तहसील डीग को व हि0 275/2100 वादिया मीनादेवी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान कर दिया तथा दखल व कब्जा उक्त आराजी पर विद्या व वादिया मीनादेवी को सोंप दिया। राजस्व रिकार्ड में हुए बयनामा का अमल दरामद नहीं हो सका जिससे मुझ प्रति0 संख्या 1 विशन सिंह द्वारा गलत तौर पर अपने भाई प्रति0 संख्या 2 छिद्दा के पक्ष में मीना देवी के हि0 275/2100 को शामिल करते हुए रजिस्टर्ड हकत्याग करा दिया जोकि भूलवश तहरीर व पंजीबद्व हुआ है।

वकील वादिया ने बहस के दौरान अपने वाद में वर्णित तथ्य तथा प्रति0 के द्वारा प्रस्तुत इकबाल दावा अनुसार दावा वादिया को स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वादिया के वादपत्र प्रति0 संख्या 1 व 2 के इकबाल दावे पीडब्ल्यू–1 मीनादेवी प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्बत 2074–2077 वाके ग्राम सिनसिनी द्वितीय खसरा नम्बर 3243 जिसमें किशन सिंह पुत्र रामहंस हि0 419/525 व विद्या पत्नी सामन्ता हि0 46/525 के खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–2 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.07.2013 जिसमें छिद्दा सिंह पुत्र रामहंस ने खसरा नम्बर 3243/0.21 में अपने हिस्से 1/2 का 550/2100 यानि कि कुल रकबा का 275/2100 वादिया के पक्ष में विक्रय किया है। प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्बत 2062–2065 खसरा नम्बर 3243/0.21 में प्रति0 संख्या 192 व हिस्सा बरावर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्बत 2066 से 2069 जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073 का अवलोकन किया। मुताविक इकबाल दावा वाद को डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः–

वादिया का दावा दस्तावेजी साक्ष्य से सावित होने पर स्वीकार किया जाता है। ग्राम सिनसिनी द्वितीय तहसील डीग में स्थित आराजी खसरा नम्बर 3243/0.21 के 275/2100 पर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रति0 संख्या 1 के हिस्से में से इतना रकबा कलमजन किया जाकर वादिया को 275/2100 हिस्से का खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 08.03.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प डीग में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner